प्रेस नोट
दिनांक: 17.10.2026

जिलाधिकारी गोण्डा एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा की अध्यक्षता में मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत तहसील कर्नलगंज में ‘‘पिंक समाधान दिवस/मिशन शक्ति तहसील दिवस’’ का भव्य एवं सफल आयोजन,जनसमस्याओं का किया गया त्वरित निस्तारण-

गोण्डा। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन तथा उनकी समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से शासन द्वारा चलाए जा रहे **मिशन शक्ति फेज-6.0** के अंतर्गत आज दिनांक 17.10.2026 को तहसील कर्नलगंज में **“पिंक समाधान दिवस/मिशन शक्ति तहसील दिवस”** का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता **जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती प्रियंका निरंजन एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक** द्वारा की गई। जनसुनवाई के दौरान महिलाओं एवं आमजन की समस्याओं को सुना गया तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का **समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण** सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा फरियादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं एवं शिकायतों की जानकारी ली गई तथा संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। पिंक समाधान दिवस के दौरान विशेष रूप से **महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित सुरक्षा, उत्पीड़न, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, भूमि/संपत्ति विवाद, पुलिस संबंधी शिकायतों सहित अन्य समस्याओं** को गंभीरता से सुना गया। पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों के संबंध में पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष जांच करते हुए नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करने तथा पीड़ितों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। **मिशन शक्ति अभियान** के उद्देश्यों के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों एवं शासन द्वारा संचालित विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। महिला सुरक्षा एवं सहायता के लिए उपलब्ध **महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा साइबर हेल्पलाइन 1930** आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि महिलाओं एवं आमजन से संबंधित शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा प्रत्येक प्रकरण में **पीड़ित की समस्या का संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लेते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही** सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम के दौरान संबंधित विभागों द्वारा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। ‘‘पिंक समाधान दिवस/मिशन शक्ति तहसील दिवस’’ के माध्यम से महिलाओं एवं आमजन को यह भरोसा दिलाया गया कि उनकी समस्याओं के समाधान हेतु प्रशासन एवं पुलिस द्वारा निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर प्रशासन एवं पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 17-10-2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का कारावास व रू0 25,000/- के अर्थदण्ड की सजा--

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27-05-2019 को वादिनी की तहरीर पर थाना मोतीगंज में शादी का झांसा देकर दुराचार करने का अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमे थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त शंकर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

दोषसिद्धि का विवरण-

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना मोतीगंज में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री चंद्रशेखर, कोर्ट मोहर्रिर म0 हेडका0 नीरा यादव व थाना मोतीगंज के पैरोकार हेड का0 भोलानाथ की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 17-10-2026 को दोषी अभियुक्त शंकर पुत्र नवादीन निवासी कौरहे थाना मोतीगंज को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कारावास व रूपये 20,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।

अभियुक्त का विवरण-

01- शंकर पुत्र नवादीन निवासी कौरहे थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0- 116/23, धारा 376,504,506 भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक: 17.10.2026

साइबर जागरूकता माह अक्टूबर के अंतर्गत गोण्डा पुलिस ने 'पासवर्ड सुरक्षा (Password Safety)' के प्रति आमजन को किया जागरूक-

गोण्डा। साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे साइबर जागरूकता माह अक्टूबर के अंतर्गत आज जनपद गोण्डा के विभिन्न थानों द्वारा *पासवर्ड सुरक्षा (Password Safety)* विषय पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन, छात्र-छात्राओं एवं युवाओं को मजबूत पासवर्ड बनाने, अपने ऑनलाइन खातों को सुरक्षित रखने तथा साइबर अपराधियों से बचाव के महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी दी गई। गोण्डा पुलिस ने बताया कि कमजोर पासवर्ड और पासवर्ड साझा करने की लापरवाही के कारण सोशल मीडिया, ई-मेल, बैंकिंग एवं अन्य डिजिटल खातों के दुरुपयोग का खतरा बढ़ सकता है।

पासवर्ड सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

- **मजबूत पासवर्ड बनाएं:** अक्षरों, अंकों एवं विशेष चिह्नों के संयोजन वाला लंबा और अनुमान लगाना कठिन पासवर्ड रखें।
- **अलग-अलग पासवर्ड रखें:** प्रत्येक ऑनलाइन खाते के लिए अलग पासवर्ड का उपयोग करें।
- **पासवर्ड साझा न करें:** अपना पासवर्ड किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें।
- **टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अपनाएं:** जहां सुविधा उपलब्ध हो, वहां इसे सक्रिय रखें।
- **संदिग्ध लिंक से बचें:** ई-मेल, SMS या सोशल मीडिया पर आए संदिग्ध लिंक के माध्यम से खुलने वाली फर्जी वेबसाइटों पर अपना पासवर्ड दर्ज न करें।
- **पासवर्ड सुरक्षित रखें:** पासवर्ड को सार्वजनिक स्थानों पर लिखकर न रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर विश्वसनीय पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें।
- **OTP साझा न करें:** किसी भी अनजान व्यक्ति को OTP या लॉगिन संबंधी गोपनीय जानकारी न बताएं।

गोण्डा पुलिस ने आमजन से अपील की कि वे स्वयं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनें और अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी पासवर्ड सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करें। सतर्कता, मजबूत पासवर्ड और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाकर साइबर अपराधों की आशंका को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 17.10.2026

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

वादी द्वारा थाना को0 मनकापुर पर सूचना दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री घर से कहीं चली गई थी। प्रकरण की जांच के दौरान अभियुक्त रोहित मौर्या पुत्र रामप्रकाश मौर्या, निवासी मुबारकपुर कहरपुरवा, थाना सादुल्लानगर, जनपद बलरामपुर का नाम प्रकाश में आया। है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मनकापुर में सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार सुरागरसी-पतारसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमे से संबंधित अभियुक्त अपने घर मुबारकपुर कहरपुरवा में मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त रोहित मौर्या को उसके घर के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01- रोहित मौर्या पुत्र रामप्रकाश मौर्या, निवासी मुबारकपुर कहरपुरवा, थाना सादुल्लानगर, जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 382/2026 धारा 137(2), 87, 64(2)(ड) बीएनएस एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट थाना को0 मनकापुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 कमल किशोर मिश्रा

2. हे0का0 राममिलन यादव

3. कां0 संदीप कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।